"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 फरवरी 2012—माघ 24, शक 1933

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-3/2012/वा.क.(आब.)/पांच (02).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के अन्तर्गत निर्धारित प्ररूप एफ. एल. 9 एवं एफ. एल. 9क में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. (1) प्ररूप एफ. एल. 9 की विद्यमान शर्त क्रमांक (11) के पश्चात् नवीन शर्त क्रमांक (11-क) अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

(11-क) (i) अनुज्ञप्तिधारी, विदेशी मदिरा की भराई के लिए प्राप्त खाली बोतल आवरण, कार्क, कैप एवं नामपत्रों का सही लेखा, जिसमें इनकी प्रारंभिक शेष, आमद, उपयोग, टूट फूट तथा अन्तिम शेष सम्मिलित है, दिन-प्रतिदिन संधारित करेगा.

(ii) अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक माह के लिए उपरोक्तानुसार मासिक पत्रक, आगामी माह की 05 तारीख तक भारसाधक अधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा भारसाधक अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर जांच कर सत्यापित किया जायेगा.

(II) प्ररूप एफ. एल. 9क की विद्यमान शर्त क्रमांक (12) के पश्चात् नवीन शर्त क्रमांक (12-क) अन्तःस्थापित की जावें अर्थात् :—

(12-क) (i) अनुज्ञप्तिधारी, विदेशी मदिरा की भराई के लिए प्राप्त खाली बोतल आकारवार, कार्क, कैप तथा नामपत्रों का सही लेखा, जिसमें इनकी प्रारंभिक शेष, आमद, उपयोग, टूट-फूट तथा बचत आदि सम्मिलित है, दिन-प्रतिदिन संधारित करेगा.

(ii) अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक माह के लिए उपरोक्तानुसार मासिक पत्रक, आगामी माह की 05 तारीख तक भारसाधक अधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा भारसाधक अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर जांच एवं सत्यापित किया जावेगा.

2. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्रमांक एफ 10-3/2012/वा.क.(आब.)/पांच (02).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-3/2012/वा.क.(आब.)/पांच (02), दिनांक 13-02-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th February 2012

NOTIFICATION

No. F 10-3/2012/CT (Ex.)/V(02).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with the clauses (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) and proviso of sub-section (3) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), and sub rule (2) of rule 8 of Chhattisarh Foreign Liquor Rule 1996, the state Government hereby makes the further amendment in Form FL 9 & FL 9A under Chhattisgarh Foreign Liquor Rule 1996 as given below :—

AMENDMENT

1. (I) New condition No. (11-A) is inserted after condition No. (11) in form FL 9 namely :—

(11-A) (i) The Licensee shall maintain day to day account of empty Bottles sizewise, Corks, Caps and Labels in which it's opening stock, receiving, uses, breakage and balance etc. are included.

(ii) The Licensee shall in every month monthly statement as above to the officer-in-charge before the 5th day of the next month and the officer-in-charge shall check and verify the same.

(II) New condition No. (12-A) is inserted after condition No. (12) in form FL 9A namely :—

(12-A) (i) The Licensee shall maintain day to day account of empty Bottles sizewise, Corks, Caps and Labels in which it's opening stock, receiving, uses, breakage and balance etc. are included.

(ii) The Licensee shall in every month monthly statement as above to the officer-in-charge before the 5th day of the next month and the officer-in-charge shall check and verify the same.

2. This amendment shall come into force from the date of publication in Government Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-3/2012/वा.क.(आब.)/पांच (03).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज), के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतदद्वारा छत्तीसगढ़ देशी स्प्रिट नियम, 1995 के अन्तर्गत निर्धारित प्ररूप सी एस-1ख में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. प्ररूप सी.एस.-1ख की विद्यमान शर्त क्रमांक (4) के पश्चात् नवीन शर्त क्रमांक (4-क) अन्तःस्थापित की जावें अर्थात् :—

(4-क) (i) अनुज्ञप्तिधारी, विदेशी मदिरा की भराई के लिए प्राप्त खाली बोतल आकारवार, कार्क, कैप तथा नामपत्रों का सही लेखा, जिसमें इनकी प्रारंभिक शेष, आमद, उपयोग, टूट-फूट तथा बचत आदि सम्मिलित है, दिन-प्रतिदिन संधारित करेगा.

(ii) अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक माह के लिए उपरोक्तानुसार मासिक पत्रक, आगामी माह की 05 तारीख तक भारसाधक अधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा भारसाधक अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर जांच एवं सत्यापित किया जावेगा.

2. यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्रमांक एफ 10-3/2012/वा.क.(आब.)/पांच (03).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-3/2012/वा.क.(आब.)/पांच (03), दिनांक 13-02-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th February 2012

NOTIFICATION

No. F 10-3/2012/CT (Ex.)/V(03).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and read with the clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) and proviso of sub-section (3) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the state Government hereby makes the following further amendment in Form CS 1-A under Chhattisgarh Country Spirit Rule, 1995 as given below :—

AMENDMENT

1. New condition No. (4-A) is inserted after condition No. (4) in form CS 1-A namely :—

(4-A) (i) The Licensee shall maintain day to day account of empty Bottles sizewise, Corks, Caps and Labels in which it's opening stock, receiving, uses, breakage and balance etc. are included.

(ii) The Licensee shall in every month produce monthly statement as above to the officer-in-charge before the 5th day of the next month and the officer-in-charge shall check and verify the same.

2. This amendment shall come into force from the date of publication in Government Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.